लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/एच/शा.शि./1/2009-10/995 भोपाल, दिनांक 4/7/2011

:: आदेश ::

व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान) एवं जिला क्रीडा एवं कल्याण निरीक्षक पद से व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.07.10 की अनुशंसा अनुसार संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था.2/एच/शा.शि./1/2009-10/1252-53 दिनांक 05.08.2010 के द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे किन्तु आदेश के स.क्र. 4 पर अंकित श्री शंकर सिंह ठाकुर, प्रवर्ग -सामान्य, शा.उ.मा.वि. संगीतागंज इंदौर एवं स.क्र. 6 पर अंकित श्री किशन लाल मेहरा, प्रवर्ग-अजा, कार्यालय जि.शि.अधि. मंदसौर के द्वारा पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थल में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण संचालनालय के एक अन्य आदेश क्रमांक स्था.2/एच/शा.शि./1/2009-10/1901-02 दिनांक 08.11.2010 द्वारा उनकी पदोन्नति निरस्त कर दी गई थी । उक्तानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची के प्रथम स्थान वाले निम्नानुसार लोकसेवको को व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद पर वेतनमान रू. 5500-175-9000 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :-

स.क्र.	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	लोक सेवक का नाम	लोक सेवक का आइ कोड	वर्तमान संस्था का नाम	वर्तमान संस्था का डाइस कोड	जाति संवर्ग	पदांकित संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23/10/99	श्रीमती कमला सिंह	AW6145	शा.बहु.उ.मा.वि. मार्तण्ड रीवा		सामान्य	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी
2	23/10/99	श्रीमती श्यामा मेश्राम	BJ9440	कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल		अजा	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी

2/ उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :-

2.1 पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान)/जिला क्रीडा एवं कल्याण निरीक्षक के पद से पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है वह शारीरिक शिक्षा मे स्नातक उपाधी अथवा डिप्लोमा होना चाहिए तथा जिस प्रवर्ग से पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है उसी प्रवर्ग का सदस्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उनकी वरिष्ठता तिथि पदोन्नति हेतु अनुशंसित आदेश में अंकित वरिष्ठता दिनांक के अनुरुप ही होना चाहिए।

2.2 पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से इस बात की पुष्टि कर ली जायें कि वे से व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान)/जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक पद पर ही कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति हेतु अनुशंसा व्यायाम निर्देशक(उच्च वेतनमान)/जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई हैं।

2.3 पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से यह भी पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान)/जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि के नहीं । यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर हस्तांतरण संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ–44–27/94/ 20–2 दिनांक 03.01.06 के अंतर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन लोक सेवकों का संविलियन किया गया है उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवा अभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावें । ऐसी विसंगति की स्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावें।

2.4 ऐसे लोक सेवको का अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण द्वारा विभाग में संविलियन हुआ हो तो उन व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान) की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत लोक सेवक के संबंध मे उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को भेजा जावे ।

2.5 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 7–18/2005/आ0प्र0/ एक, दिनांक 05.08.05 एवं 17.08.05 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कीर, मीना एवं पारधी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित कर दिया गया है । अतः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख उक्त पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोकसेवको के अभिलेख से पुष्टि कर लें तभी पात्र पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक माना जावेगा ।

2.6 पदोन्नति समिति द्वारा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

2.7 पदोन्नत व्याख्याता एक सप्ताह की समयावधि में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति पदांकित संस्था में देवें अन्यथा पदोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी । साथ ही कार्यमुक्त करने वाले एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यालय प्रमुखो द्वारा कार्यमुक्ति/कार्यभार उपरांत तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय ।

2.7.11

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. कमांक/स्था.2/एच/शा.शि./1/2009–10/996 भोपाल, दिनांक 4/7/2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. जिला–कलेक्टर रीवा, शहडोल मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा, शहडोल मध्यप्रदेश ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग रीवा, शहडोल मध्यप्रदेश।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा, शहडोल मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, तात्याटोपे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी ।
8. संबंधितो की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.2 / सी / स्थाना. / सूची / 18 / 2011 / 1028 भोपाल, दिनांक 11-7-2011

/ / आदेश / /

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी ।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था / जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एन.के. वैष्णव (गणित)	--	शास.आर.एन.ए.उ.मा.वि.पिपरिया जिला होशंगाबाद	23370677701	शास.उ.मा.वि.सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर	23400877705
2	श्री उदयवीर सिंह सिकरवार (रसायन)	--	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. विजयपुर जिला श्योपुर	23010877701	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. बागचीनी जिला मुरैना	2302[illegible]77702
3	श्री सज्जन सिंह [illegible] (भूगोल)	--	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. हाटपिपल्या जिला देवास	23230477702	शास.कन्या उ.मा.वि. सोनकच्छ जिला देवास	2323[illegible]7702
4	[illegible] व्याख्याता (संस्कृत)	--	वर्तमान पदस्थापना जि.शि.अ.कार्यालय बी.आर.सी.सी.पद से प्रतिनियुक्ति वापसी उपरांत	231401[illegible]01	शास.उ.मा.वि. संस्कृत [illegible] जिला रीवा	[illegible]

11.7.11
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक / स्था.2 / सी / स्थाना / सूची / 18 / 2011 / 1029 भोपाल, दिनांक 11-7-2011

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
4. कलेक्टर जिला होशंगाबाद, नरसिंहपुर, श्योपुर, मुरैना, देवास, रीवा ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला होशंगाबाद, नरसिंहपुर, श्योपुर, मुरैना, देवास, रीवा ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय होशंगाबाद जबलपुर भोपाल ग्वालियर इन्दौर रीवा ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला होशंगाबाद, नरसिंहपुर श्योपुर मुरैना, देवास रीवा ।
8. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल ।

9. जिला शिक्षा अधिकारी होंशगाबाद,नरसिंहपुर,श्योपुर,मुरैना,देवास,रीवा । म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11 संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/ स्थाना./सूची/18/2011/1030 भोपाल,दिनांक 11-7-2011

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण वर्तमान संस्था में अतिशेष होने के कारण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर प्रशासनिक आधारपर पदपूर्ति के लिये तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	सस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिलें का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती रत्ना गोलछा (रसायन)	--	शास.महाराज शिवाजीराव उ.मा.वि. इन्दौर जिला इन्दौर	23260177721	शास.बा.उ.मा.वि. सानकच्छ जिला देवास	23230377701
2.	श्री ध्यानेन्द्र सक्सेना (रसायन)	--	शास.महाराज शिवाजीराव उ.मा.वि. इन्दौर जिला इन्दौर	23260177721	शास.बा.उ.मा.वि. लोहार्दा जिला देवास	23230577703

11.7.11
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/स्था.2/सी/ स्थाना./सूची/18/2011/1031 भोपाल,दिनांक 11-7-2011

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
4. कलेक्टर जिला इन्दौर,देवास, ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला इन्दौर,देवास, ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इन्दौर ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला इन्दौर,देवास, ।
8. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर,देवास, म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/ स्थाना./सूची/18/2011/1032 भोपाल,दिनांक 11-7-2011

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर प्रशासनिक आधारपर पदपूर्ति के लिये तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

स.क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एम.के.जैन (वाणिज्य)	--	शास.बहु.उ.मा.वि. बालाघाट	23450177701	शास.उ.मा.वि. नरसिंहपुर	23400877702
2.	श्रीमती कलावती पाण्डेय (हिन्दी)	--	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. सीधी	23170677701	शास.उ.मा.वि. लमसरई जिला सिंगरौली	23500177761

11.7.11

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ. क्रमांक/स्था.2/सी/ स्थाना./सूची/18/2011/1033 भोपाल,दिनांक 11-7-2011

प्रतिलिपि

1 निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
4 कलेक्टर जिला बालाघाट,नरसिंहपुर,सीधी,सिंगरौली।
5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला,बालाघाट,नरसिंहपुर,सीधी,सिंगरौली ।
6 संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर रीवा ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला,बालाघाट,नरसिंहपुर,सीधी,सिंगरौली ।
8. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी,बालाघाट,नरसिंहपुर,सीधी,सिंगरौली म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11 संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/ स्थाना./सूची/18/2011/1034 भोपाल,दिनांक 11-7

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामथ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी ।

स.क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री शंभुदयाल खरे (हिन्दी)	AH 6988	शास..उ.मा.वि. ककरहटी जिला पन्ना किये गये स्थानांरण को निरस्त करते हुये	23100377706	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. पटरिया जिला दमोह	23120277701

11.7.11
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/स्था.2/सी/ स्थाना./सूची/18/2011/1035 भोपाल,दिनांक 11-7-2

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
4. कलेक्टर जिला दमोह,पन्ना ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला दमोह,पन्ना ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर, ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला दमोह, पन्ना ।
8. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी दमोह,पन्ना । म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.–2 / सी / व्या. / स्थानां. / 18 / 11/1036 भोपाल, दिनांक 11-7-2011

प्रति,

आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र,

पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स्,

भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषयः– विभागीय अनापत्ति दिये जाने बावत् ।

संदर्भः– मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की टीप क्रमांक 483 दिनांक 07.06.2011.

————0————

विषयांतर्गत मान. मंत्रीजी की संदर्भित टीप के अनुक्रम में सुश्री रेखा जैन व्याख्याता (भूगोल) शास. उमावि. क्रमांक 2 टीकमगढ़ को डाइट विदिशा में व्याख्याता के पद पर पदस्थापना के लिये विभागीय अनापत्ति प्रदान की जाती है ।

11.7.11

आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / स्था.–2 / सी / व्या. / स्थानां. / 18 / 11/1037 भोपाल, दिनांक 11-7-2011

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर / जबलपुर संभाग मध्यप्रदेश ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला टीकमगढ़ / विदिशा ।
5. प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान विदिशा ।
6. संबंधित सुश्री रेखा जैन व्याख्याता (भूगोल) शास. उमावि. क्रमांक 2 टीकमगढ़ ।
7. कार्यालयीन स्था.–2 कक्ष प्रतिनियुक्ति टेबिल की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./यु.यु./85/10/1038 भोपाल,दिनांक 11-7-2011

//आदेश//

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला हरदा के आदेश क्रमांक 4512/स्थापना/यु.यु./10, दिनांक 16.8.2010 द्वारा श्री वेणिप्रसाद व्यास व्याख्याता (संस्कृत) शास.म.गां.उ.मा.वि.हरदा की पदस्थापना युक्तियुक्तिकरण के तहत शास.क.उ.मा.वि.टीमरनी की गई थी । एतद् द्वारा उक्त आदेश में संशोधन कर श्री वेणिप्रसाद व्यास व्याख्याता (संस्कृत) को स्वैच्छिक आधार पर शास.बा.उत्कृ.उ.मा.वि.सिवनी मालवा में व्यांख्याता हिन्दी के रिक्त पद पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता हैं ।

2/ उक्त पदस्थापना स्वैच्छिक आधार पर होने के कारण किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नही होगी ।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

11.7.11
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठांकमांक/स्था 2/सी/स्था./यु.यु./85/10/1039 भोपाल,दिनांक 11-7-2011
प्रतिलिपि–

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला हरदा/होशंगाबाद म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण होशंगबाद संभाग होशंगाबाद (नर्मदापुरम)।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला हरदा/होशंगाबाद म.प्र. ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला हरदा/होशंगाबाद ।
7. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ ।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.